निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 74/2021
दायरा दिनांकः—12.11.2021
निर्णय दिनांकः— 23.10.24

उनवान

1. हंसराज उम्र 72 साल पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम रीछडा जिला बारां
2. लालचन्द पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम रीछडा तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम रीछडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. लक्ष्मा पुत्री गोपाल पत्नि रामचरण जाति धाकड निवासी ग्राम रीछडा तहसील छबडा जिला बारां हाल निवास चन्द्रपुरिया मोहल्ला छावनी चौराहा कोटा जिला कोटा (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 23.10.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री मुकेश शर्मा— प्रार्थी
2. श्री राकेश सोनी — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी गण के सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि भूभी खाता संख्या 179 की खसरा नंबर 146 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 147 रकबा 9 विश्वा, खसरा नंबर 158/1 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 247 रकबा । बीघा 15 बिश्वा, खसरा नंबर 318 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, एवं खसरा नंबर 319 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 6 तादादी 14 बीघा 19 बिस्वा भूमी वाके माल रीछडा तह० छबड़ा जिला बांरा राज० में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 2/5 हे. इसी प्रकार अप्रार्थी कम । का हिस्सा 1/10 एवं अप्रार्थी कम 2 का हिस्सा 1/10 है। जो सामलाती खातेदारी में दर्ज रिर्काड जमाबंदी चला आ रहा है। जो संलगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आपस में भाई बहिन है। उक्त आरजीयात में से खसरा नंबर 318 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नंबर 319 रकबा 3 बीघा 18 बिस्था भूमी छबड़ा बांरा रोड पर ग्राम रीछडा में अवस्थित होने के कारण रोड कि तरफ के हिस्से कि कीमत ज्यादा होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमी पर गड्ढे खेदकर मकान व दूकान बनाकर उसे अवैध रूप से हडपनपा चाहते है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण अपनी आरजी का शांतिपूर्वक उच्च तकनीक का विकास, हद बंदी कर सुरक्षा करना चाहते है। जिसका प्रार्थीगण वैधानिक अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

लिए मुताबिक खातेदारी उक्त भूमी का विभाजन बटवारा पैमाईश करा कर अपना खाता अलग कराना चाहते है। जिसका प्रार्थीगण वैधानिक अधिकारी है। जो न्यायहित में आवश्यक व न्ययोचित है। अप्रार्थीगण लडाकू प्रवृति के व्यक्ति हैं, जो अकारण ही आये दिन प्रार्थीगण के हिस्से कि भूमी पर अवैध रूप से निमाण करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमी पर अतिक्रमण करने का प्रयास करने व कब्जा करने की धमकी देते रहते है। जिसे कारण आपस में हर समय लडाई–झगडे कि संभवना बनी रहती है। तथा भविष्य में कोई विवाद अनहोनी या दुर्घटना ना हो, इसलिए मुताबिक रेवन्यु रिकार्ड खातेदारी का शांतिपूर्वक विभाजन बटवारा करा कर अपना खाता अलग कराना चाहते है। जो न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। उक्त विवादित आराजी यंयुक्त खातेदारी की होने से अप्रार्थी कम 1 य उसके परिजनों द्वारा दिनांक 25.10.2021 को प्रार्थीगण के हिस्से की उकत आरजी पर गडेढे खोदकर निर्माण करने का असफल प्रयास किया तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम । से भूमी का बटवारा कराने की बात की तो अप्रार्थी कम 1 आकोश मे आगया एवं विभाजन कराने से साफ इनकार कर कीगण से मारपीट करने पर आमादा हो गया तथा प्रार्थीगण एवं उनके परिजनों को उक्त भूमी पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थीगण अपने हिस्से की उक्त आरजी के शांतिपूर्वक उपयोंग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है। जो अत्यंत आवश्यक व न्ययोचित है। प्रार्थीगण द्वारा उनके हिससे की भूमी के विभाजन कराने व शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने बाबत अप्रार्थीगण को कई बार समझाया गया इस संदर्भ में किये गये सभी प्रयास विफल होने पर प्रार्थीगण द्वार माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नही रहा। प्रार्थीगण के हिस्से की आरजी का विभाजन नही होने की स्थिती में अकारण ही, प्रार्थीगण को कई प्रकरणों में उलढना पडेगा। परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी आपूर्ती असंभव है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की बवजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 179 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम रीछडा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2076 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 2/5 हिस्सा है जो शामलाती खातेदारी में चली आ रही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण भाई बहिन है खसरा नम्बर 318 एवं खसरा नम्बर 319 की भूमि छबडा बारां रोड पर स्थित है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि रोड के तरफ हिस्से की भूमि पर गडढे खोदकर मकान व दुकान बनाकर हडपना चाहता है अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नही है प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का पृथक–पृथक बटवारा करा कर अपना खाता अलग कराना चाहतें है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास करने व कब्जा करने की धमकी देते है जिसके कारण आपस में लडाई–झगडा होता रहता है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जावे। कि प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण का 3/10, 3/10 हिस्सा है अपने– अपने हिस्सा की भूमि में अपनी सुविधा अनुसार कायत करने का तथा उसको विकसित करने का पूर्व अधिकार है। विवादित आराजी गोपाल के खातेदारी की थी पिता गोपाल द्वारा अपनी मौजुदगी में भूमि का बटवारा कर दिया था। पिता के समय से ही विवादित आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण बटवारे अनुसार काश्त करतें चले आ रहे है। अप्रार्थी क्रम 1 की भूमि के पास रोड निकल गया है जमीन की कीमत बढ गई है प्रार्थीगण के मल में बेईमानी आ रही है अप्रार्थी क्रम 1 की भूमि पिता के समय से ही कब्जे कायत में चली आ रही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्राथी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 179 के अनुसार प्रार्थीगण का 2/5 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण का हिस्सा 3/10, 3/10 दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण का 2/5 हिस्स दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अपने हिस्से की भूमि का बटवारा कराने के लिए प्रस्तुत किया है। अप्राथीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करना बातया है प्रार्थीगण विवादित आराजी का बटवारा होने तक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द कराना चाहतें है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है उभय पक्षकारान को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 146 रकबा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 147 रकबा 09 बिस्वा खसरा नम्बर 158/1 रकबा 4 बीघा खसरा नम्बर 247 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 318 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 319 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 14.19 बीघा भूमि पर राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा